राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांकः प.4(72)वित्त/राजस्व/94–लूज दिनांक 18.04.2022

आदेश

राज्य सरकार द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.1995 के द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। इसी क्रम में पॉलिसी वर्ष 2022–23 (दिनांक 01.05.2022 से 30.04.2023 तक की अवधि) के लिये उक्त योजना के अन्तर्गत दुर्घटना बीमा का आवरण प्राप्त किये जाने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नतालिका में अंकित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा :–

श्रेणी	बीमाधन	कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती	राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि
1.	5 लाख	निःशुल्क	350/–
2.	10 लाख	350 /–	350/–
3.	20 लाख	1050 /–	350/–
4.	30 लाख	1750 /–	350/–

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों सहित राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रेल देय मई, 2022 के वेतन से अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी।
2. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से पे–मैनेजर पोर्टल/ई–ग्रास पोर्टल/पीआरआई पे–मैनेजर पोर्टल के माध्यम से कार्मिक द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार कटौती करेंगे। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों की भी उक्त कटौती राशि साधारण बीमा निधि मद में जमा करायी जायेगी।
3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा उनके समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से **एसआईपीएफ पोर्टल** में प्रस्ताव पत्र की पूर्ति कराया जाना तथा उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन कराया जाना आवश्यक है।
4. जिन कार्मिकों द्वारा गत वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जा चुका है तथा जिन्हें वर्तमान में न तो मनोनयन परिवर्तन करना है एवं न ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, उन्हें ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी गत वर्ष कार्मिक द्वारा दिये गये श्रेणी के विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती किया जाना सुनिश्चित

18/4/2022

करेंगे। कार्मिक के द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार प्रीमियम कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।

5. ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा गत वर्ष कोई विकल्प नहीं देने पर उनका प्रीमियम पूर्वानुसार 220/– रू. ही काटा गया था, यदि वे कार्मिक इस बार भी कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनकी कोई प्रीमियम कटौती आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा **नहीं** की जायेगी और उन्हें श्रेणी संख्या 1 के तहत 5 लाख रूपये के बीमाधन का कवर प्राप्त होगा।
6. किसी कार्मिक द्वारा अपने आहरण वितरण अधिकारी को एक बार विकल्प प्रस्तुत किये जाने तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रीमियम कटौती कर लिये जाने के बाद वर्ष के दौरान कार्मिक द्वारा विकल्प में परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा। इसी प्रकार जिन कार्मिकों द्वारा ई–ग्रास के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जायेगी उनके द्वारा उस वर्ष में अधिक बीमाधन हेतु प्रीमियम की अन्तर राशि की कट़ौती नहीं कराई जा सकेगी।
7. दिनांक 01.05.2022 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा श्रेणी संख्या 2 से 4 में से विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन से 2022–23 हेतु देय प्रीमियम की राशि आई.आर.डी.ए. नियमानुसार प्रोरेटा आधार पर काटी जायेगी।
8. समस्त आहरण वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी राज्य कर्मचारी/अधिकारी के माह अप्रेल 2022 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अप्रेल, 2022 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी निजी स्तर से प्रीमियम राशि (उपरोक्त तालिका में से चयनित श्रेणी के अनुसार) एसआईपीएफ/ईग्रास पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.05.2022 से पूर्व साधारण बीमा निधि में जमा करायेंगे। कोई प्रीमियम जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त कार्मिक श्रेणी संख्या 1 में बीमित माने जावेंगे।
9. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 के अंतर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी।

इस संबंध में प्रक्रिया संबंधी विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

18/4/2022

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. समस्त जिला कलक्टर।
11. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
12. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
13. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

18/4/2022

संयुक्त शासन सचिव